[24/12/2021]

प्रश्न सं. [क. 1578]

परिशिष्ठ 'अ'
तारांकित प्रश्न क. 1578
द्वारा माननीय विधायक श्री कमलेश्वर पटेल

सीधी व सिंगरौली जिले में पिछले 02 वर्ष में पत्रकारों के ऊपर दर्ज आपराधिक प्रकरणों की थानावार जानकारी

(अवधि दिनांक 01 दिसम्बर 2019 से दिनांक 30.11.2021 तक)

क्र.	जिला	वर्ष	थाना	अप.क.	धारा
1	सीधी	2020	अजाक	5 / 20	294,323,324,506,34 ताहि एवं 3(1)द, 3(1)ध, (2)(5क) एससी एसटी एक्ट
2	सीधी	2020	अमिलिया	4 / 20	147,148,149,186,189,196,120–बी,504,506 ताहि
3	सीधी	2021	कोतवाली	935 / 21	452,323,294,506,34 ताहि
4	सिंगरौली	2021	विध्यनगर	369 / 21	384, 386, 34 भा.द.वि.
5	सिंगरौली	2021	सरई	322 / 21	384,385,504,505(2), 506 भा.द.वि.
6	सिंगरौली	2021	माडा	74 / 21	153 (a), 153 (i)(a)(b), 505 (2) भादंवि

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल.

8-12-21
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

परिशिष्ट'ब'
तारांकित प्रश्न क्र. 1578
द्वारा माननीय विधायक श्री कमलेश्वर पटेल

(2.2)

मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय,

क्र0 एफ0 12–34/09/बी–1/दो

भोपाल, दिनांक 06.01.2010

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश,
पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

विषयः– पत्रकारों पर होने वाली ज्यादतियों को रोकने तथा उनके विरूद्ध चल रहे अपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुनरावलोकन।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 5811/6079/86/बी–1/दो, दिनांक 24.09.86 एवं परिपत्र क्रमांक 7353/14114/05/बी–1/दो, दिनांक 27.12.05.

---00---

उपरोक्त विषय में इस विभाग का संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 7353/14114/05/बी–1/दो, दिनांक 27.12.05. को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। साथ ही इस संबंध में इस विभाग के पत्र क्रमांक 5811/6079/86/बी–1/दो, दिनांक 24.09.86 में दिये गये निर्देशों मे आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है। कृपया संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये –

1 जहां तक पत्रकारों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण कायम किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जाये। परंतु अपराध के पंजीयन के बाद चालान किये जाने के पूर्व प्रकरणों मे उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज द्वारा की जायेगी। समीक्षा में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित पत्रकार/मीडिया के व्यक्ति को दुर्भावनावश या तकनीकी किस्म के प्रकरण स्थापित कर परेशान तो नहीं किया जा रहा है। यदि कोई प्रकरण दुर्भावनावश विवेचना करना पाया जाये तो तत्काल उसमे न्यायालय से खात्मा/खारजी स्वीकृत करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाये तथा संबंधित पुलिस अधिकारियो के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाये।

2 इस प्रकार की समीक्षा की सुविधा वैसे पत्रकार/मीडिया को प्राप्त होगी जो कि प्रिंट/विज़ुअल मीडिया संबंधी किसी पंजीबद्ध संस्था के अभिस्वीकृति प्राप्त प्रतिनिधि (accredited press/media correspodent) हो। इस संबंध में प्रमाणित करने के लिए जिला स्तरीय जनसंपर्क अधिकारी अधिकृत होंगे।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.

8.12.? AIG of Police CID, M.P., BHOPAL

---2

3. पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज त्रैमासिक स्तर पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में गत 03 माह में पत्रकारों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर प्रतिवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (शिकायत) को निम्न पत्रक में भेजेंगे:—

स0क0	जिला	पत्रकार का नाम व पता	किस संस्था से संबंधित है एव उसका पद नाम तथा कार्य की प्रकृति	अपराध कमांक व धारा	अपराध का संक्षिप्त विवरण	पुलिस अधीक्षक द्वारा समीक्षात्मक टीप	उप पुलिस महानिरीक्षक का अभिमत	यदि दुर्भावनावश प्रकरण में विवेचना की गयी है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत) त्रैमासिक प्रतिवेदन की समीक्षा कर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

4. पत्रकारों पर ज्यादती होने की शिकायत प्राप्त होने पर संचालक जनसंपर्क द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी। इन प्राप्त शिकायतो मे पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के पश्चात् की गयी कार्यवाही से संचालक जनसपर्क को अवगत कराया जाए ।

(अनिल कुमार)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह विभाग

पृ0क0 एफ0 12–34 / 09 / बी–1 / दो — भोपाल, दिनांक 06.01.2010

प्रतिलिपि –

1 सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनसपर्क विभाग, मत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
2 संचालक, जनसपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल,

को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग

8.12.21
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL